

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 24193/2018

मंजू बाई मीणा, पुत्री कैलाश चंद मीणा, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम ईशवाना, पोस्ट बाबेली,
तहसील रानी, जिला अलवर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
(राजस्थान) के माध्यम से
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।

----प्रतिवादी

से जुड़े

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18542/2012

ममता मीना पुत्री श्री मोजीराम मीना, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मकान नंबर 5, नम्रता आवास,
बजरंग नगर, पोस्ट नयापुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (राजस्थान) अपने सचिव के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य अपने प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग के माध्यम से। राजस्थान सचिवालय,
जयपुर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री अक्षित गुप्ता, श्री एस.एन. मीना
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा-अतिरिक्त जीसी सुश्री नमिता परिहार-उपजीसी श्री उत्तम झांझरिया

जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

20/09/2024

प्रकाशनीय

1. चूंकि दोनों रिट याचिकाओं में समान तथ्य और विधि प्रश्न सम्मिलित हैं, अतः पक्षकारों के अधिवक्ता के अनुरोध पर, तर्कों की एक साथ सुनवाई की गई है।
2. सुविधा की दृष्टि से, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 24193/2018 में प्रस्तुत तथ्यों और प्रार्थना पर विचार किया गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:

“इन परिस्थितियों में, अतः यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय इस रिट याचिका को स्वीकार करने की कृपा करे और

 - i) अनुसूचित जनजाति (तलाक) श्रेणी के अंतर्गत शिक्षक ग्रेड III (स्तर-II) (हिंदी) के पद पर विनम्र याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को मौखिक रूप से अस्वीकार करने में प्रतिवादियों द्वारा की गई आपत्तिजनक कार्रवाई को कृपया अवैध और मनमाना घोषित किया जाए और इसलिए, इसे कृपया रद्द और अपास्त किया जाए।
 - ii) परमादेश रिट, आदेश या निर्देश जारी करके, प्रतिवादियों को कृपया निर्देश दिया जाए कि वे विनम्र याचिकाकर्ता को अनुसूचित जनजाति (तलाक) श्रेणी के अंतर्गत विचार करें और विनम्र याचिकाकर्ता को शिक्षक ग्रेड-III (स्तर-II) (हिंदी) के पद पर सभी परिणामी लाभों सहित नियुक्ति प्रदान करें।
 - iii) कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश, जिसे माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, कृपया पारित किया जाए।”
4. इसे दायर करने के माध्यम से रिट याचिका में अनुसूचित जनजाति (तलाकशुदा) श्रेणी के अंतर्गत शिक्षक ग्रेड-III (स्तर II) (हिंदी) के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने हेतु प्रतिवादियों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 31.07.2018 के विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ता ने शिक्षक ग्रेड-III (स्तर II) (हिंदी) के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के समय, याचिकाकर्ता का तलाक हो चुका था और इस संबंध में घोषणा हेतु एक वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित था, लेकिन विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद डिक्री पारित की गई थी। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय में सामाजिक तलाक लेने की प्रथा है और इसके लिए अलग से कोई डिक्री लेने की

आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी अनुसूचित जनजाति (तलाकशुदा) श्रेणी के अंतर्गत याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए बाध्य थे।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम सुनीता मीणा एवं अन्य (डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या **829/2017**) के दिनांक 14.07.2017 को निर्णीत मामले में पारित आदेश का हवाला दिया, जिसमें मुद्दा समान था और समान स्थिति वाली सुनीता मीणा द्वारा दायर रिट याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 17.01.2017 के आदेश द्वारा अनुमति प्रदान की थी और राजस्थान लोक सेवा आयोग (संक्षेप में, “आरपीएससी”) को निर्देश दिए गए थे कि वह उसे एसटी (तलाकशुदा) श्रेणी के अंतर्गत मानकर विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार करें। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 17.07.2017 को पारित आदेश को आरपीएससी ने डी.बी. दायर करके चुनौती दी थी। विशेष अपील रिट संख्या **829/2017** (आरपीएससी बनाम सुनीता मीणा) (सुप्रा), हालाँकि, इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 14.07.2017 को खारिज कर दी गई और इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया। अधिवक्ता का तर्क है कि इन परिस्थितियों में, वर्तमान याचिकाकर्ता भी उसी राहत के हकदार हैं, जो इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सुनीता मीणा (सुप्रा) मामले में दी गई थी।

7. इसके विपरीत, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान वकील और आरपीएससी के विद्वान वकील ने संयुक्त रूप से याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के समय उम्मीदवार की श्रेणी देखी जानी आवश्यक है और आवेदन पत्र जमा करते समय, वर्तमान याचिकाकर्ताओं के पास सक्षम न्यायालय से जारी विवाह विच्छेद का कोई आदेश नहीं था, इसलिए, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता एसटी (तलाकशुदा महिला) की श्रेणी के तहत नियुक्ति पाने के हकदार नहीं हैं। वकील ने प्रस्तुत किया कि सुनीता मीणा (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय को जोधपुर में मुख्य पीठ में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सचिव, आरपीएससी बनाम संगीता वरहाट के मामले में डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या **72/2022** के आदेश दिनांक 11.10.2022 के तहत तय किया गया है। वकील ने प्रस्तुत किया कि सुनीता मीणा (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय को अनुचित माना गया है और आरपीएससी द्वारा दायर विशेष अपील को अनुमति दी गई और संगीता वरहाट बनाम

आरपीएससी (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या **7281/2019**) के मामले में जोधपुर में मुख्य सीट पर इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 30.03.2021 के निर्णय को रद्द कर दिया गया। वकील ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

8. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुना और उन पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

9. इस न्यायालय की दो अलग-अलग खंडपीठों द्वारा पारित दोनों निर्णयों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि समान शक्ति वाली दोनों पीठों द्वारा परस्पर विरोधी दृष्टिकोण लिया गया है। न्यायिक शिष्टाचार और कानूनी औचित्य की मांग है कि जहां कोई एकल पीठ या खंडपीठ समन्वय क्षेत्राधिकार वाली पीठ के फैसले से सहमत नहीं है, मामले को बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए। यह विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुंदरदास कन्यालाल भथिजा एवं अन्य बनाम कलेक्टर, ठाणे, महाराष्ट्र के मामले में लिया है, जो एआईआर **1990** एससी **261** में रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह, अय्यास्वामी गौंडर बनाम मुनुस्वामी गौंडर में, जो एआईआर **1984** एससी **1789** में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ को, उसी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के पहले के फैसले से सहमत नहीं होने पर, मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना चाहिए और न्यायिक औचित्य और शिष्टाचार उसे विपरीत दृष्टिकोण लेने की गारंटी नहीं देते हैं।

10. एस. कासी बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक के माध्यम से समयल्लूर पुलिस स्टेशन मदुरै जिला के मामले में, जो **(2021) 12 एससीसी 1** में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि

“यह सर्वमान्य है कि एक समन्वय पीठ विपरीत दृष्टिकोण नहीं अपना सकती है और यदि कोई संदेह हो, तो केवल एक समन्वय पीठ ही मामले को एक बड़ी पीठ के विचारार्थ भेज सकती है। न्यायिक अनुशासन ऐसा ही निर्धारित करता है। इस न्यायालय ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम देवंस मॉडर्न ब्रेवरीज लिमिटेड एवं अन्य (2004) 11 एससीसी 26, के मामले में अनुच्छेद 339 में निम्नलिखित निर्धारित किया है:-

“339. न्यायिक अनुशासन यह परिकल्पना करता है कि एक समन्वय पीठ किसी पूर्ववर्ती समन्वय पीठ के निर्णय का पालन करे। यदि एक समन्वय पीठ किसी अन्य पीठ द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों से सहमत नहीं है, तो मामला केवल एक बड़ी पीठ को ही भेजा जा सकता

है। (देखें प्रदीप चंद्र परीजा बनाम प्रमोद चंद्र पटनायक, (2002) 1 एससीसी 1 जिसका अनुसरण भारत संघ बनाम हंसोली देवी, (2002) 7 एससीसी 273 में किया गया। लेकिन समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत या असंगत कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। कल्याणी स्टोर्स (सुप्रा) और के.के. नरूला (सुप्रा) दोनों को संविधान पीठों द्वारा सुनाया गया है। इसलिए, उक्त निर्णयों को किसी भी उद्देश्य के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है; खासकर तब जब दोनों को सामूहिक रूप से लागू करने पर बहुमत द्वारा प्रस्तावित विपरीत निर्णय निकलता है।”

11. गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने श्री जगदीश डेका बनाम के मामले में एआईआर **2014** गुवाहाटी **143** में असम राज्य ने रिपोर्ट दी है कि:

"इसी प्रकार, 2003 (5) एससीसी 448 में रिपोर्ट किए गए बिहार राज्य बनाम कालिका कुएर मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों की जांच की जिनमें कोई निर्णय "पर इनक्यूरियम" दिया जा सकता है।

हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों के अंश को उद्धृत करते हुए, पैरा 5 में यह माना गया:

5. इस मोड़ पर हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि किन परिस्थितियों में किसी निर्णय को पर इनक्यूरियम दिया गया माना जा सकता है। हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून (चौथा संस्करण) खंड 26: निर्णय और आदेश: प्राधिकार के रूप में न्यायिक निर्णय (पृष्ठ 297-98, पैरा 578) में हम पाते हैं कि पर इनक्यूरियम के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

"पर इनक्यूरियम तब निर्णय दिया जाता है जब न्यायालय ने अपने या समन्वित क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय के पिछले निर्णय की अनदेखी करते हुए कार्य किया हो, जिसमें उसके समक्ष जो मामला है, उस स्थिति में उसे यह तय करना होगा कि किस मामले का अनुसरण करना है या जब उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय की अज्ञानता में कार्य किया है, उस स्थिति में उसे उस निर्णय का पालन करना होगा; या जब निर्णय किसी कानून या वैधानिक बल वाले नियम की शर्तों की अज्ञानता में दिया गया हो। किसी निर्णय को केवल पक्षों की कमी के कारण, या इसलिए कि न्यायालय को सर्वोत्तम तर्क का लाभ नहीं मिला, प्रति इनक्यूरियम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, और, एक सामान्य नियम के रूप में, केवल वे मामले जिनमें

निर्णयों को प्रति इन्क्यूरियम दिया जाना चाहिए, वे हैं जो किसी असंगत कानून या बाध्यकारी प्राधिकारी की अज्ञानता में दिए गए हों। भले ही अपील न्यायालय के किसी निर्णय ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पिछले निर्णय की गलत व्याख्या की हो, अपील न्यायालय को अपने पिछले निर्णय का पालन करना चाहिए और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को गलती सुधारने के लिए छोड़ देना चाहिए। हर्ब्सफील्ड पुलिस अथॉरिटीज़ मामले में, मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड गोडार्ड ने कहा कि जहाँ कोई मामला या कानून अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया हो और अदालत ने मामले या कानून के अस्तित्व के बारे में अनभिज्ञता या विस्मृति में निर्णय दिया हो, तो वह प्रति-इन्क्यूरियम में दिया गया निर्णय होगा।“

इसी प्रकार, आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद [(2008) 10 एससीसी 1] में दर्ज मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा कि जब निर्णय किसी अन्य समन्वय पीठ द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों की अनभिज्ञता में दिया जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना समीचीन होगा:

“78. उच्च न्यायालयों की विभिन्न पीठों द्वारा समन्वित और यहाँ तक कि बड़ी पीठों के निर्णयों/आदेशों का पालन न करने के कई उदाहरण हैं। कुछ मामलों में, उच्च न्यायालय बिना किसी ठोस कारण के इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की अनदेखी करने की हद तक चले गए हैं। इसी प्रकार, ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें इस न्यायालय की छोटी पीठों ने संविधान पीठों सहित बड़ी पीठों के निर्णयों के अनुपात की या तो अनदेखी की है या उसे दरकिनार कर दिया है। ये मामले न्यायिक अनुशासन के उस नियम का पालन न करने के उदाहरण हैं जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। महादेवलाल कनोडिया बनाम पश्चिम बंगाल के प्रशासक महाप्रशासक मामले में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की: (एआईआर पृष्ठ 941, पैरा 19)

“19. ... यदि कानून में किसी एक चीज की किसी अन्य चीज से अधिक आवश्यकता है, तो वह है निश्चितता का गुण। यदि उच्च न्यायालय में समन्वित क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधीश एक-दूसरे के निर्णयों को रद्द करना शुरू कर दें, तो यह गुण पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। यदि किसी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ किसी अन्य खंडपीठ के पिछले निर्णय में अंतर नहीं कर पाती है, और यह मानते हुए कि पिछला निर्णय गलत है, स्वयं उस

दृष्टिकोण को लागू कर देती है, तो परिणाम घोर भ्रम की स्थिति होगी। स्थिति उतनी ही खराब होगी जब उच्च न्यायालय में अकेले बैठे एक न्यायाधीश की राय हो कि विधि के किसी प्रश्न पर किसी अन्य एकल न्यायाधीश का पिछला निर्णय गलत है और वह मामले को किसी बड़ी पीठ को भेजने के बजाय उस दृष्टिकोण को लागू कर देता है। ऐसे मामले में वकीलों को यह नहीं पता होगा कि अपने मुवक्किलों को कैसे सलाह दें और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय अपने ही उच्च न्यायालय के असहमतिपूर्ण निर्णयों के बीच चयन करने की शर्मनाक स्थिति में खुद को पाएंगे।

इसके बाद, माननीय न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय, लाला श्री भगवान बनाम राम चंद, जो एआईआर **1965** एससी **1767** में प्रकाशित हुआ था, पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया था:

“18. ... इस बात पर ज़ोर देना आवश्यक नहीं है कि न्यायिक औचित्य और शिष्टाचार के आधार पर यह आवश्यक है कि यदि किसी मामले की सुनवाई कर रहा कोई विद्वान एकल न्यायाधीश यह विचार करने के लिए इच्छुक है कि उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों, चाहे वह खंडपीठ का हो या एकल न्यायाधीश का, पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, तो उसे एकल न्यायाधीश के रूप में बैठकर उस जाँच को शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि मामले को खंडपीठ को संदर्भित करना चाहिए या, उचित स्थिति में, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने चाहिए ताकि वह इस प्रश्न की जाँच के लिए एक बड़ी पीठ का गठन कर सकें। ऐसे मामलों से निपटने का यही उचित और पारंपरिक तरीका है और यह न्यायिक शिष्टाचार और शिष्टाचार के स्वस्थ सिद्धांतों पर आधारित है। यह खेदजनक है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्तमान मामले में इस पारंपरिक तरीके से हटकर स्वयं इस प्रश्न की जाँच करने का विकल्प चुना।”

12. सामान्यतः, किसी विशेष मुद्दे पर विवाद के संबंध में कानून की स्थिति तय हो जाने के बाद, यह न्यायालय मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं करता। लेकिन इस न्यायालय के समक्ष कठिनाई, विशेष रूप से, तब होती है जब एक ही मुद्दे पर इस न्यायालय की समान शक्ति वाली दो खंडपीठों द्वारा दो परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ दाऊदी

बोहरा कम्युनिटी एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में, **(2005) 2 एससीसी 673** में प्रतिवेदित; प्रासंगिक पैरा 12 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

“12. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर ध्यानपूर्वक विचार करने और उपर्युक्त निर्णयों में संविधान पीठों द्वारा निर्धारित कानून की जांच करने के बाद, हम निम्नलिखित शब्दों में कानूनी स्थिति का सारांश प्रस्तुत करना चाहेंगे:-

(1) इस न्यायालय द्वारा अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में निर्धारित कानून, कम या समान संख्या वाली किसी भी बाद की पीठ पर बाध्यकारी है।

(2) कम कोरम वाली पीठ, अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा लिए गए कानून के दृष्टिकोण की सत्यता पर संदेह नहीं कर सकती। संदेह की स्थिति में, कम कोरम वाली पीठ केवल मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित कर सकती है और अनुरोध कर सकती है कि मामले को उस पीठ से अधिक कोरम वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाए जिसका निर्णय विचारार्थ आया है। केवल समान संख्या वाली पीठ ही समान संख्या वाली पिछली पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की सत्यता पर संदेह व्यक्त कर सकती है, जिसके बाद मामले को कोरम वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जा सकता है। उस पीठ से बड़ा जिसने उस कानून को निर्धारित करने का निर्णय सुनाया जिसकी सत्यता पर संदेह है।

(3) उपरोक्त नियम दो अपवादों के अधीन हैं: (i) उपर्युक्त नियम मुख्य न्यायाधीश के विवेक को बाध्य नहीं करते हैं, जिनमें रोस्टर तैयार करने की शक्ति निहित है और जो किसी विशेष मामले को किसी भी संख्या बल वाली किसी विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दे सकते हैं; और (ii) ऊपर निर्धारित नियमों के बावजूद, यदि मामला पहले ही अधिक कोरम वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आ चुका है और वह पीठ स्वयं महसूस करती है कि कम कोरम वाली पीठ द्वारा लिए गए कानून के दृष्टिकोण, जो दृष्टिकोण संदेह में है, में सुधार या

पुनर्विचार की आवश्यकता है, तो अपवाद के रूप में (न कि नियम के रूप में) और उसके द्वारा दिए गए कारणों से, वह मामले की सुनवाई कर सकती है और संबंधित पिछले निर्णय की सत्यता की जांच कर सकती है, जिसमें किसी विशिष्ट संदर्भ या पीठ के गठन और ऐसी सूचीकरण के मुख्य न्यायाधीश के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। रघुबीर सिंह एवं अन्य तथा हंसोली देवी एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में यही स्थिति थी।

13. वर्तमान स्थिति जैसी स्थिति में, जहाँ दो अलग-अलग खंडपीठों द्वारा दो परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं, इस न्यायालय के पास इस मामले को एक विशेष/वृहत्तर पीठ को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ताकि कानून के अनुसार विवाद का समाधान हो सके।

14. तदनुसार, यह न्यायालय इस मामले को निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विशेष/वृहत्तर पीठ को भेजता है: "क्या अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले सक्षम न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त किए बिना तलाकशुदा श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति पाने की हकदार है?"

15. अब इस मामले को प्रशासनिक पक्ष के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि इस न्यायालय द्वारा विशेष/वृहत्तर पीठ को भेजे गए उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विशेष/वृहत्तर पीठ का गठन किया जा सके।

(अनूप कुमार ढांड), जे

आयुष शर्मा/289-290

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी